अध्याय-II: 2030 कार्यसूची का अनुकूलन

2.1 परिचय

2030 कार्यसूची प्रत्येक सरकार को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर राष्ट्रीय उद्देश्यों को परिभाषित करने तथा किस प्रकार वैश्विक उद्देश्यों को राष्ट्रीय योजना प्रक्रियाओं, नीतियों तथा कार्यनीतियों में समाविष्ट किया जाएगा, का निर्धारण करने की अनुमति देता है। भारत उन विकास पहलों का अनुसरण कर रहा है जो अधिकांश एसडीजी को प्रतिबिंबित करते हैं और इसलिए वर्तमान विकास कार्यक्रमों तथा पहलों को एसडीजी के अनुकूल बनाना इसके सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण होगा। अत: इस लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि सरकार ने किस सीमा तक 2030 कार्यसूची को राष्ट्रीय संदर्भ में अनुकूल बनाया है। लेखापरीक्षा में शामिल विषयों तथा निष्कर्षों को अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

2.2 सरकारी योजना प्रक्रियाओं, नीतियों तथा कार्यनीतियों में 2030 कार्यसूची के अनुकूलन के लिए संस्थागत व्यवस्था

2030 कार्यसूची की तैयारी एवं कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने तथा समन्वित करने हेतु सरकारों को, संस्थागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने यह जांचा कि क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं, केंद्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर विद्यमान एवं प्रभावशाली थीं।

2.2.1 केंद्रीय स्तर पर संस्थागत व्यवस्था

2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन का समन्वयन तथा देखरेख हेतु प्रमुख (नोडल) संस्थान के रूप में नीति आयोग को चिन्हित किया गया है तथा इसे राष्ट्रीय उद्देश्यों को चिन्हित करने, उन्हें मंत्रालयों/विभागों को सौंपने तथा राज्य सरकारों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2030 कार्यसूची के अंतर्गत भारत द्वारा प्रारंभ की गई प्रतिबद्धताओं को संप्रेषित करने का कार्य सौंपा गया था। नीति आयोग ने सूचित

किया (मई 2019) कि उसने "एसडीजी का सुधार करने में प्रतिस्पर्धात्मक फ्रेमवर्क के साथ-साथ सहकारी संघवाद का उपयोग करके" राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को शामिल करने की कार्यनीति का अनुसरण किया है।

नीति आयोग ने कई बहु-विषयक हितधारक परामर्श किए हैं तथा विभिन्न हितधारकों को परामर्शिका जारी की है। इसने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मुख्यधारण गतिविधियों जैसे कि विज़न/कार्यनीति दस्तावेज तैयार करना; प्रमुख संरचनाओं का सृजन; उद्देश्यों का प्रतिचित्रण, कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण, अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन; राज्य-विशिष्ट संकेतकों का सूत्रीकरण तथा एसडीजी के साथ बजट को उन्मुख करने की आवधिक समीक्षाएं भी की थी। तथापि, वर्ष 2020, 2025 तथा 2030 में पूरे किए जाने वाले एसडीजी उद्देश्यों के साथ संरेखित कार्य योजना एक परिभाषित मुख्य-पड़ाव के साथ अभी भी तैयार की जानी है।

नीति आयोग ने लक्ष्यों/उद्देश्यों के साथ योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रतिचित्रित[6] किया था। अगस्त 2017 में तैयार प्रतिचित्रण दस्तावेज में, नीति आयोग ने प्रत्येक लक्ष्य के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उद्देश्यों से जुड़े मंत्रालयों/विभागों सहित सभी एसडीजी के संबंध में प्रमुख मंत्रालयों को चिन्हित किया। तथापि, प्रमुख तथा सहयोगी मंत्रालयों की विनिर्दिष्ट भूमिका परिभाषित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, कुछ मामलों में यह पाया गया था कि केंद्रीय मंत्रालय, विशिष्ट उद्देश्यों के संबंध में अपनी भूमिका से अवगत नहीं थे। अगस्त 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी संशोधित प्रतिचित्रण दस्तावेज में विनिर्दिष्ट एसडीजी हेतु प्रमुख के रूप में एक विशिष्ट मंत्रालय का चिन्हित पद हटा दिया गया है। इस प्रतिचित्रण दस्तावेज के अनुसार, समन्वय तथा एसडीजी की उपलब्धि का अनुवीक्षण नीति आयोग द्वारा किया जाएगा जबकि संबंधित मंत्रालय विनिर्दिष्ट एसडीजी उद्देश्यों हेतु उत्तरदायी होंगे।

राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों में एसडीजी पर कार्य की प्रत्यक्ष रूप से समीक्षा करने के अलावा नीति आयोग ने एसडीजी के कार्यान्वयन के विश्लेषण एवं समीक्षा हेतु एक बहु-विषयक कार्यबल का गठन (अगस्त 2017) किया था। कार्य बल को प्रत्येक तिमाही

---

[6] प्रतिचित्रण दस्तावेज नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2015 में तैयार किये गये तथा अप्रैल 2016, जून 2016, अगस्त 2017 तथा अगस्त 2018 में पुन: संशोधित किए गए।

में कम से कम एक बैठक करनी अपेक्षित थी फिर भी इसने अपने गठन के पश्चात् केवल दो ही बैठकें की थी।

2.2.2 राज्य स्तर पर संस्थागत व्यवस्था

नीति आयोग ने सूचित किया (जून 2018) कि सभी राज्यों ने एसडीजी पर कार्रवाई हेतु अपने योजना विभाग अथवा इसके समतुल्य की प्रमुख विभाग के रूप में चिन्हित किया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन हेतु सभी चयनित सात राज्यों में प्रमुख विभागों को चिन्हित कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, सात में से पांच राज्यों अर्थात् **असम, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र** तथा **उत्तर प्रदेश** में सहयोगी संस्थानों को भी चिन्हित कर लिया गया है। **असम**, विशिष्ट एसडीजी हेतु प्रमुख अधिकारियों/विभागों को नियुक्त करने की जानकारी देने में असमर्थ रहा। **हरियाणा** में, 2030 कार्यसूची की तैयारी और कार्यान्वयन का समन्वयन करने हेतु एक एसडीजी समन्वयन केंद्र (एसडीजीसीसी) की स्थापना की गई है। **महाराष्ट्र** तथा **उत्तर प्रदेश** में, विभिन्न एसडीजी/एसडीजी समूह हेतु प्रमुख अधिकारियों को चिन्हित कर लिया गया है परंतु इन अधिकारियों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को अभी परिभाषित किया जाना था। **पश्चिम बंगाल** में, एसडीजी को आठ क्षेत्रीय समूहों में विभाजित किया गया है परंतु इन समूहों को अभी भी कार्यरत होना है।

इस प्रकार, जबकि सभी चयनित राज्यों ने संस्थागत व्यवस्थाओं को सृजित करने की कार्रवाई प्रारंभ की थी फिर भी सहयोगी विभागों को चिन्हित करके तथा अधिकारियों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करके इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु आगे के कदम उठाने अपेक्षित हैं।

2.3 योजनाओं की समीक्षा करना तथा एसडीजी का अनुकूलन

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय कार्यनीति में, उजागर की गई दो मुख्य पहलें राष्ट्रीय विकास कार्यसूची का एसडीजी के साथ 'क्रमवेशन' तथा एसडीजी के साथ मंत्रालयों तथा योजनाओं/कार्यक्रमों का प्रतिचित्रण हैं। इन पहलों को नीति आयोग को सौंपे गए दो विशिष्ट कार्यों अर्थात् अन्य बातों के साथ-साथ एसडीजी को ध्यान में रखते हुए 15 वर्षीय विज़न, सात वर्षीय कार्यनीति एवं

तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा दस्तावेज को तैयार करना (मई 2016) तथा मंत्रालयों/विभागों को लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को चिन्हित तथा आवंटन (सितंबर 2015) के साथ जोड़ा गया है।

केंद्रीय स्तर

2.3.1 विज़न, कार्यनीति तथा कार्य एजेंडा दस्तावेज तैयार करना

देश के लिए विज़न, कार्यनीति तथा कार्य एजेंडा दस्तावेजों को तैयार करने के लिए नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों (मई 2016) को निविष्टि प्रदान करने की मांग की थी जिससे कि यह दस्तावेज, विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रदेशों की प्राथमिकताओं तथा चिंताओं को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करें। इस संबंध में, प्रदत्त निविष्टियों पर सूचना की लेखापरीक्षा द्वारा 20 केंद्रीय मंत्रालयों से मांग की गई थी जिसमें से 19 मंत्रालयों ने उत्तर दिया तथा नीति आयोग[7] को निविष्टि प्रदान करने की पुष्टि की।

तीन अनिवार्य दस्तावेजों में से, नीति आयोग ने 2017-20 की अवधि को शामिल करके "तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा" जारी किया (अगस्त 2017) तथा दिसंबर 2018 में 2022-23 तक की अवधि का एक कार्यनीति दस्तावेज, शीर्षक "अभिनव भारत @75 की कार्यनीति" जारी किया। तीसरा अनिवार्य दस्तावेज अर्थात् "15 वर्षीय विज़न दस्तावेज" को अभी भी जारी किया जाना था जबकि इसे कार्यनीति तथा कार्य एजेंडा दस्तावेज का आधार होना अपेक्षित था। कार्य एजेंडा के संबंध में, नीति आयोग ने स्पष्ट किया (नवम्बर 2018) कि इसे पहले प्रारंभ किया गया क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हो रही थी। तथापि, दस्तावेजों का अनुक्रमण, वर्तमान निदेशों के अनुसार नहीं था। नीति आयोग ने बताया (मई 2019) कि विज़न दस्तावेज को मार्च 2020 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

नीति आयोग से अपेक्षित था कि विशेष रूप से एसडीजी को ध्यान में रखते हुए इन योजना दस्तावेजों को तैयार करें। तथापि, यह देखा गया कि जबकि तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में शामिल क्षेत्र तथा कार्य मोटे तौर पर 2030 कार्यसूची[8] के सभी आयामों को

---

[7] गृह मंत्रालय ने बताया (मार्च 2019) कि विज़न दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[8] कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवाएं, परिवहन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं वन, जल संसाधन, शहरी विकास, ग्रामीण परिवर्तन, सामाजिक न्याय एवं शासन।

सम्मिलित करते हैं फिर भी यह दस्तावेज एसडीजी को विशेषतया उद्धृत नहीं करता है। कार्यनीति दस्तावेज उल्लेख करता है कि प्रत्येक अध्याय को संबंधित लक्ष्य/उद्देश्य के साथ प्रतिचित्रित किया गया है जिससे "अभिनव भारत @75 की कार्यनीति" को यूएन एसडीजी को भारत की प्रतिबद्धता के समरूप बनाया जा सके। स्वास्थ्य क्षेत्र (लक्ष्य 3) से संबंधित कार्यनीति के पहलुओं के लक्ष्य 3 के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों के प्रति इसकी संबद्धता तथा तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा दृष्टिकोण की निरंतरता का निर्धारण करने के लिए जांच की गई और यह पाया गया कि तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी विषयों पर कार्यनीति के बीच बड़े पैमाने पर अनुरूपता थी। तथापि, तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा में अभिकल्पित विशिष्ट कार्यों को विभिन्न कार्यनीति घटकों के साथ स्पष्ट रूप से प्रतिचित्रित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न एसडीजी के साथ कार्यनीति दस्तावेज के विविध पहलुओं के संयोजन को दर्शाया गया है, पर एसडीजी पर उनके विशिष्ट प्रभाव का ब्यौरा नहीं दिया गया है।

2.3.2 लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रतिचित्रण

भारत एक व्यापक विकास एजेंडा का अनुसरण कर रहा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय आयाम एवं क्षेत्र तथा सरकार के स्तर सम्मिलित हैं। जैसा कि भारत की स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) रिपोर्ट में बताया गया है भारत के राष्ट्रीय विकास एजेंडा को एसडीजी प्रतिबिम्बित करते हैं। अत: राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं संकेतको का चिन्हिकरण, एसडीजी उद्देश्यों के साथ मौजूदा विकास योजनाओं, कार्यक्रमों, अंत:क्षेपों तथा मंत्रालयों/विभागों का प्रतिचित्रण राष्ट्रीय संदर्भ में एसडीजी के अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण था।

लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को सौंपना

मंत्रालयों को लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को सौंपने के कार्य के रूप में नीति आयोग ने मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा अन्य सरकारी पहलों के साथ एसडीजी तथा उद्देश्यों का प्रतिचित्रण हेतु एक प्रक्रिया शुरू की। नीति आयोग ने प्रतिचित्रण दस्तावेज के विभिन्न संस्करण जारी किए हैं।

लेखापरीक्षा ने नीति आयोग द्वारा अगस्त 2017 में जारी प्रतिचित्रण दस्तावेज तथा अगस्त 2018 में जारी दस्तावेज के संशोधित संस्करण की जांच की। अगस्त 2017 के प्रतिचित्रण दस्तावेज ने विभिन्न एसडीजी तथा उद्देश्यों हेतु प्रमुख मंत्रालयों, संबंधित मंत्रालयों, केंद्रीय योजनाओं तथा मुख्य सरकारी पहलों को चिन्हित किया।

संशोधित प्रतिचित्रण दस्तावेज में विशिष्ट उद्देश्यों को योजनाओं तथा अंत:क्षेप के साथ जोड़ा गया है; जुड़े हुए मंत्रालयों तथा योजनाओं को अद्यतन किया गया है तथा एसडीजी के बीच संपर्कों का उल्लेख किया गया है[9]। नीति आयोग (दिसंबर 2018) द्वारा प्रस्तुत एसडीजी भारत सूचकांक: बेसलाइन रिपोर्ट ने अन्य एसडीजी की सहक्रियता दर्शाने हेतु एसडीजी की अंतर-संबद्धता को और विस्तार से प्रस्तुत किया है।

राज्य स्तर

2.3.3 चयनित राज्यों में एसडीजी का अनुकूलन

राज्यों के मुख्य सचिवों तथा योजना सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन (जुलाई 2016) में नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य को अपना स्वयं का विज़न, कार्यनीति एवं कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया। इससे पूर्व (अप्रैल 2016) नीति आयोग ने राज्य सरकारों को एसडीजी तथा संबंधित उद्देश्यों की शीघ्र प्राप्ति को सुसाध्य बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा की गई प्रतिचित्रण प्रक्रिया के समान प्रक्रिया प्रारंभ करने की सलाह दी थी।

एसडीजी भारत सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (जिनमें लेखापरीक्षा हेतु चयनित **असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल** शामिल हैं) ने अपना विज़न दस्तावेज तैयार कर लिया है तथा 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी प्रतिचित्रण प्रक्रिया को पूरा किया है।

सात चयनित राज्यों में विज़न, कार्यनीति एवं कार्य एजेंडा दस्तावेज तैयार करने तथा लक्ष्यों/उद्देश्यों के प्रतिचित्रण की लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई और स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है:

[9] अर्थात् लक्ष्य-1 का लक्ष्य- 2,3,4,5,6,7,8,10,11,13 के साथ संयोजकता होने का उल्लेख किया गया था।

तालिका 2.1: चयनित राज्यों में एसडीजी का अनुकूलन				
राज्य	विज़न	कार्यनीति	कार्य एजेंडा	प्रतिचित्रण
असम	✓	✓	✓	✓
छत्तीसगढ़	✓	×	×	✓
हरियाणा	✓	×	×	✓
केरल	×	×	×	✓
महाराष्ट्र	✓	×	×	✓
उत्तर प्रदेश	×	×	×	✓
पश्चिम बंगाल	×	×	×	×

लेखापरीक्षा ने पाया कि **उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल** में विज़न/कार्यनीति/कार्य एजेंडा दस्तावेजों का कार्य प्रारंभिक स्तर पर था। **केरल** ने 2014 में परिप्रेक्ष्य योजना 2030 तैयार की थी जिसकी समीक्षा कर एसडीजी के अनुरूप नहीं बनाया गया। **छत्तीसगढ़** ने मार्च 2019 में अपना विज़न 2030 दस्तावेज प्रकाशित किया।

चयनित राज्यों में की गई प्रतिचित्रण प्रक्रिया व्यापक नहीं थी। उदाहरणार्थ, **असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र** तथा **उत्तर प्रदेश** में योजनाओं/लक्ष्यों/उद्देश्यों का प्रतिचित्रण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, केंद्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर एसडीजी के संदर्भ में नीति दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया अभी भी चल रही थी। प्रमुख अभिकरणों द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रभावी अनुपालन इन मुख्य कार्यों के सामयिक समापन में सहयोगी होता। इसके अतिरिक्त, एसडीजी के साथ मौजूदा योजनाओं के अनुकूलन की प्रक्रिया की प्रभावकारिता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया के गहन अनुवीक्षण की आवश्यकता है।

2.4 जागरूकता उत्पन्न करना तथा हितधारक की साझेदारी

एसडीजी की जागरूकता उत्पन्न करना तथा एक बहु-हितधारक साझेदारी रूपी दृष्टिकोण को अपनाना, 2030 कार्यसूची के समावेशी, प्रभावी तथा सतत् कार्यान्वयन पर लक्षित है। लेखापरीक्षा ने केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा सरकारी अधिकारियों, हितधारकों तथा

आम जनता में जागरूकता बढ़ाने हेतु किए गए उपायों तथा हितधारक परामर्श एवं साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए संरचनाओं की मौजूदगी तथा प्रभावकारिता की भी जांच की।

2.4.1 केंद्रीय स्तर पर पहल

यूएनडीजी संदर्भ निर्देशिका में जागरूकता को बढ़ाने के लिए सुझाए गए कदमों में सरकारी अधिकारियों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने हेतु परिचयात्मक कार्यशालाओं तथा आम जनता को 2030 कार्यसूची की सूचना देने हेतु जागरूकता अभियान का आयोजन शामिल है। प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण जागरूकता बढ़ाने तथा हितधारक साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण घटक था।

जागरूकता बढ़ाने तथा हितधारक साझेदारी को प्रोत्साहित करने हेतु की गई पहलों तथा इन पहलों से संबंधित विचारणीय मुख्य क्षेत्रों की **तालिका 2.2** में चर्चा की गई है:

तालिका 2.2: जागरूकता उत्पन्न करना तथा हितधारक की साझेदारी

पहल	विचारणीय विषय
क. बहु-हितधारक बातचीत	
• नीति आयोग, ने भागीदार संस्थानों,[10] के साथ जागरूकता उत्पन्न करने, विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान तथा राज्यों की तैयारी में सहायता करने हेतु राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं/परामर्शों का आयोजन किया। • भारत सरकार ने सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) सामग्री तैयार करने तथा एसडीजी पर अनुसंधान एवं प्रलेखन जैसे क्षेत्रों में सिविल सोसाइटी संगठनों से साझेदारी की। • बहु-विषयक कार्यबल ने हितधारक परामर्शों में मदद की।	• इन परामर्शों के परिणाम को अंतिम रूप देने तथा लोक अधिकार क्षेत्र में रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ। • अधिकांश परामर्शों के मामले में निश्चित परिणामों तथा सिफारिशों के समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई हेतु चिन्हित नहीं किया गया था। अत: सीमित आश्वासन था कि विचार-विमर्शों ने एसडीजी हेतु कार्य योजना (रोडमैप)/ नीतियों को आकार देने में सहयोग दिया।

[10] विकासशील देशों हेतु अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) तथा संयुक्त राष्ट्र/आरआईएस विदेश मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान

• संसद के सदस्यों को एसडीजी-संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु 'अध्यक्षीय शोध पहल' (एसआरआई) कार्याशालाएं जुलाई 2015, अगस्त 2016, दिसंबर 2016 तथा मार्च 2017 में आयोजित की गई थीं।	• एसआरआई की वेबसाईट के अनुसार, एसडीजी से संबंधित मामलों पर कार्यशालाओं का आयोजन मार्च 2017 के पश्चात नहीं किया गया है।
ख. लोक जागरूकता उत्पन्न करना	
• नीति आयोग के परामर्शों का लक्ष्य लोक जागरूकता प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हितधारकों तक पहुंचना था। • इन परामर्शों से देश में "सूचना प्रसार की एक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया स्थापित करना" अपेक्षित था। • सरकार की योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रसार तथा प्रचार का प्रावधान है।	• प्रतिपुष्टि के अभाव में हितधारकों द्वारा लोक जागरूकता बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों की सीमा तथा प्रभावकारिता का पता लगाना संभव नहीं हो पाया। • किसी केंद्रीकृत लोक जागरूकता अभियान की अभिकल्पना नहीं की गई थी। • आम जनता के लिए समर्पित जागरूकता उपायों का अभाव 2030 कार्यसूची को समावेशी तथा सहभागी बनाने के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है।
ग. क्षमता निर्माण	
• नीति आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को क्षमता निर्माण उपायों को प्रारंभ करने की सलाह दी (दिसंबर 2017)। • प्रशिक्षण तथा संसाधन केंद्रों को अपने प्रशिक्षण मॉड्यूल/कार्यक्रमों में एसडीजी पर सत्रों को शामिल करने के अनुदेश जारी किए। • 15 मंत्रालयों में परीक्षण जांच ने दर्शाया कि 10 मंत्रालयों ने क्षमता निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ की है।	• 15 मंत्रालयों में से पांच जहां इस पहलू की समीक्षा की गई थी, उनके द्वारा किसी भी क्षमता निर्माण प्रक्रिया को अभी भी प्रारंभ/सूचित करना शेष था।

2.4.2 राज्य स्तर पर कार्रवाई तथा पहल

नीति आयोग ने सूचित किया कि परामर्शों/कार्यशालाओं में भाग ले रहीं राज्य सरकारें अपने स्वयं के अधिकार-क्षेत्र में लोक जागरूकता पहलों का नेतृत्व कर रही हैं। नीति आयोग ने राज्य सरकारों को भी क्षमता निर्माण पहल प्रारम्भ करने की सलाह दी थी। जागरूकता उत्पन्न करने, हितधारक साझेदारी को बढ़ाने तथा क्षमता निर्माण हेतु की गई पहल की जांच सात चयनित राज्यों में की गई थी तथा निष्कर्षों की **तालिका 2.3** में चर्चा की गई है।

तालिका 2.3: चयनित राज्यों द्वारा जागरूकता उत्पन्न करना, हितधारक साझेदारी तथा क्षमता निर्माण पहल

असम	• 33 जिलों में से 19 में स्वायत्त परिषदो, सिविल सोसाइटी संगठनों तथा जिला योजना अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। • 52 अंतर-विभागीय बैठकें आयोजित की गई थीं जिसका परिणाम 'असम में एसडीजी की ओर यात्रा पर प्रक्रिया दस्तावेज' में हुआ। • राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान तथा चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की 2020 तक योजना की गई थी परंतु दिसंबर 2018 तक इनके कार्यान्वयन पर कोई प्रगति की सूचना नहीं दी गई।
छत्तीसगढ़	• एसडीजी के प्रचार हेतु ई-सामग्री जारी की गई। • निर्दिष्ट प्रमुख विभागों के साथ 11 विभागीय कार्य समूहों का एसडीजी के लिए गठन किया गया था। तथापि, फरवरी 2019 में विधानसभा सदस्यों के अतिरिक्त, अधिकारियों को संवेदनशील बनाने तथा लोक जागरूकता हेतु कार्यशालाओं का आयोजन नहीं किया था। • सभी पांच प्रभागों में अधिकारियों को एसडीजी पर आधारित विकेन्द्रीकृत जिला योजना तैयार करने को प्रशिक्षित किया गया (जुलाई 2017)। • जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) सदस्यों, जो निम्न स्तरों पर सूचना का आगे प्रसार करेंगें, के लिए संवेदनीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
हरियाणा	• अन्य बातों के साथ-साथ क्षमता निर्माण तथा जागरूकता उत्पन्न करने के उत्तरदायित्व हेतु एसडीजी समन्वयन केन्द्र की स्थापना की गई है।

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

	• सात अंतर-विभागीय कार्य समूहों का अभिसरण में मदद करने के लिए गठन किया गया परंतु इन्होंने विज़न दस्तावेज को अपनाने के पश्चात् कोई बैठक नहीं की थी।
केरल	• सरकारी अधिकारियों, लोक प्रतिनिधियों सिविल सोसाइटी संगठनो तथा अन्य हितधाराकों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों तथा समीक्षा बैठकों का आयोजन किया गया परंतु लोक जागरूकता उत्पन्न करने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई। • भारतीय राष्ट्रीय प्रतिष्ठान (एनएफआई) की विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकियों तथा वित्तीय संसाधनों को संघटित एवं आदान-प्रदान करने हेतु चिन्हित किया गया।
महाराष्ट्र	• अधिकारियों को एसडीजी पर संवेदनशील बनाने हेतु बैठकों का आयोजन किया गया परंतु सरकार के तीसरे स्तर पर विभागों का संवेदनीकरण अभी भी किया जाना था। • नगरपालिका/जिला परिषद सदस्यों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना की गई तथा निरंतर शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रस्ताव किया गया।
उत्तर प्रदेश	• जागरूकता कार्यक्रम का केवल राज्य स्तर पर आयोजन किया गया। • कार्यशालाओं तथा अंतर-अभिकरण परामर्शों का आयोजन किया गया परंतु कई मामलों में कार्रवाईयों को प्रलेखित नहीं किया गया था। • विभिन्न विभागों से बने कार्य समूहों (अक्तूबर 2016) का गठन किया गया परंतु वह गैर-क्रियात्मक रहे। • एसडीजी पर सूचना का प्रसार करने के लिए विकसित वेबसाईट को तकनीकी समर्थन की कमी के कारण हटा दिया गया था।
पश्चिम बंगाल	• 2030 कार्यसूची को मुख्य धारा बनाने के लिए अंतर-विभागीय/क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया गया। • विशेष रूप से एसडीजी से संयोजित जागरूकता योजनाओं को प्रारम्भ नहीं किया गया।

यह स्पष्ट है कि जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्यों में अधिकारियों के क्षमता निर्माण और हितधारकों से जुड़े कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन वे व्यापक, केन्द्रित तथा स्थिर प्रकृति के नहीं थे। इस प्रकार, 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन में समावेशी तथा साझेदारी निर्णय लेने का कार्य बाधाओं का सामना कर सकता है।

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

2.5 नीति सामंजस्यता

2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन में एक समेकित 'सम्पूर्ण सरकार' दृष्टिकोण, सतत् विकास के सभी आयामों का एक संतुलित कवरेज तथा यह सुनिश्चित करना कि "कोई पीछे न छूटे" अपेक्षित है। इस संदर्भ में, 2030 कार्यसूची को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया पर यूएनडीजी दिशानिर्देश ने "समस्तरीय नीति सामंजस्यता" तथा "उर्ध्वाधर नीति सामंजस्यता", जो सम्पूरक है, के सृजन की पहचान को मुख्यधारण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण माना है। केन्द्र तथा राज्य दोनों में लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई समस्तरीय तथा उर्ध्वाधर नीति सामंजस्यता के लिए व्यवस्था की मौजूदगी की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.5.1 समस्तरीय नीति सामंजस्यता

लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के बीच अंतर-संबंध की पहचान

समस्तरीय नीति सामंजस्यता में नीति निर्माण प्रक्रियाएं शामिल है जो पारम्परिक क्षेत्रीय साइलों (Sectoral silos) को समाप्त करती है तथा आयामों एवं क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता को ध्यान में रखती है जिससे कि एसडीजी के प्रति एक समेकित तथा संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया जा सके। जैसा कि पहले पैरा 2.3.2 में उजागर किया गया है, एसडीजी के साथ योजनाओं/कार्यक्रमों तथा मत्रांलयों का प्रतिचित्रण करते समय लक्ष्यों/उद्देश्यों तथा उनके कार्यान्वयन मंत्रालयों के बीच अंतर-संबंधों की पहचान करने के लिए कार्य किया गया था। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने बताया कि एसडीजी को कार्यान्वित कर रहे मंत्रालयों द्वारा विरोधी और सहक्रिय मामले की उचित समय में समीक्षा की जाएगी।

मंत्रालयों और अभिकरणों के बीच समन्वय हेतु संस्थागत तंत्र

क्षेत्रीय (Sectoral) मंत्रालयों तथा अभिकरणों में साझेदारी स्थापित करने तथा लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के बीच अंतर-संबंधों का प्रबंध करने के लिए समन्वित संस्थागत तंत्र अपेक्षित है। पिछली लेखापरीक्षाओं ने केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर शासन सरंचनाओं के भीतर स्थापित अंतर-मंत्रालयी तथा अंतर-अभिकरण तंत्रों की मौजूदगी को दर्शाया है। अधिकांश विकास कार्यक्रम तथा पहल सभी संबंधित मंत्रालयों तथा अभिकरणों के बीच अभिसरण तथा समन्वय हेतु संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रावधान भी

करते हैं। तथापि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों[11] ने इन तंत्रों के कार्य करने में कमियों को उजागर किया है तथा उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

लेखापरीक्षा ने जांचा कि क्या संस्थागत तंत्र को एसडीजी से संबंधित समन्वय के मुद्दे का निपटान करने हेतु विशेष रूप से विकसित किया गया है। नीति आयोग ने बहु-विषयक कार्य बल को समन्वय पहलूओं का निपटान करने हेतु सृजित एक संस्थागत तंत्र के उदाहरण के रूप में बताया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस कार्य बल द्वारा प्रत्येक एसडीजी के लिये प्रमुख मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करने को समर्थ बनाने के लिए प्रशासनिक तंत्र सृजित करने हेतु लिए गए निर्णय (अक्तूबर 2019) को कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा बाद में प्रमुख मंत्रालय की धारणा को ही संशोधित प्रतिचित्रण दस्तावेज में हटा दिया गया। नीति आयोग ने स्पष्ट किया (मई 2019) कि चूंकि विभिन्न लक्ष्य मैट्रिक्स-समान संरचना में अंत:सम्बद्ध है इसलिए लक्ष्यों का समूहीकरण किसी भी विशिष्ट मंत्रालय को नहीं सौंपा जा सकता।

राज्य स्तर पर, एसडीजी की अंतर-सामंजस्यता का निपटान करने के लिए संस्थागत तंत्र को विकसित करने के प्रयास सभी सात चयनित राज्यों में किए गए हैं। इस संबंध में प्रत्येक राज्य के निष्कर्ष की चर्चा पैरा 2.4.2 में की गई है।

11

सीएजी का प्रतिवेदन		सरोकार	सिफारिश
सं.	विषय		
2018 की 15	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	कई राज्यों में, राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर योजना एवं सुपुर्दगी हेतु संस्थागत ढांचा क्रियात्मक नहीं था। विभिन्न मंत्रालयों/राज्यों में समन्वय तथा अभिसरण हेतु परिषद निष्क्रिय रही।	मौजूदा तंत्र के औचित्य तथा व्यवहारिकता की समीक्षा की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह अपना प्रत्याशित उद्देश्य को पूरा करे।
2018 की 10	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	योजना के निरंतर तथा नियम आधारित कार्यान्वयन/अनुवीक्षण को सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्माताओं, हितधारकों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों हेतु संदर्भ साधनों का प्रावधान करने वाले योजना दिशानिर्देश मौजूद नहीं थे।	राज्यों में योजना के कार्यान्वयन को नियांत्रित करने हेतु प्रचालनात्मक दिशानिर्देश तैयार किए जाने चाहिए।
2017 की 23	शिक्षा का अधिकार का कार्यान्वयन (आरटीई)	आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर सरकार को सलाह देने हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं किया था तथा यह गैर-क्रियात्मक रही।	राष्ट्रीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है।

2.5.2 उर्ध्वाधर नीति सामंजस्यता (स्थानीयकरण)

भारत की वीएनआर रिपोर्ट उल्लेख करती है कि 'भारत भाग्यशाली है कि केन्द्र के साथ साथ राज्यों में अत्यधिक प्रतिबद्ध सरकारें है। सहकारी संघवाद की भावना में, सरकार के इन दो स्तरों ने भारत में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए हाथ मिलाएं हैं।' वीएनआर रिपोर्ट यह भी उजागर करती है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में सुदृढ़ स्थानीय सरकारी[12] संस्थानों की परम्परा है। इन संस्थानों, जिन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन सौंपे गए हैं, उनको विभिन्न विकास पहलों की योजना तथा कार्यान्वयन में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा समर्थन दिया जाता है।

विभिन्न विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा (फुटनोट 11 का संदर्भ लें) दर्शाती है कि उनमें सरकार के विभिन्न स्तर तथा स्थानीय/क्षेत्रीय प्राधिकरण, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, के बीच घनिष्ठ एकीकरण के लिए प्रावधान है। तथापि, इन लेखापरीक्षाओं ने उनके कामकाज में कमियों के संबंध में सुधारों की सिफारिशों सहित लगातार अभ्युक्तियां की हैं।

केन्द्र पर एसडीजी के विशिष्ट संदर्भ में, नीति आयोग ने राज्यों को विभिन्न पहलों जैसे कि परामर्शों, कार्यशालाओं, बैठकों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का प्रतिचित्रण, विज़न एवं कार्यनीति दस्तावेज की तैयारी, क्षमता निर्माण और कार्य बल में शामिल किया था। "एसडीजी को स्थानीय बनाने हेतु क्षमता निर्माण" पर समर्पित एक राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था। 2018 में एसडीजी भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड का प्रारम्भ करके तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को श्रेणीबद्ध करके नीति आयोग ने उप-राष्ट्रीय सरकारों के बीच प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना बढ़ाने की पहल की है। राज्यों के स्तर पर, राज्य प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ प्रशासनिक संरचनाओं तथा स्थानीय स्वशासन संरचनाओं (सरकार का तृतीय स्तर) के साथ राज्य उर्ध्वाधर सामंजस्यता प्राप्त करना अपेक्षित है। इस पहलू के संबंध में चयनित राज्यों द्वारा सूचित निष्कर्षों की **तालिका 2.4** में चर्चा की गई है:

[12] ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थान तथा शहरी स्थानीय निकायें

तालिका 2.4: चयनित राज्यों में उर्ध्वाधर सामंजस्यता	
असम	• प्रमुख विभाग ने जागरूकता उत्पन्न करने हेतु जिला तथा विभाग स्तरों पर परामर्श किए परंतु 33 में से 14 जिलों तथा 59 में से सात विभागों को शामिल नहीं किया था।
केरल	• एसडीजी अनुवीक्षण समूह (जनवरी 2018) ने जिला, शहरी स्थानीय तथा पंचायत स्तरों पर एसडीजी के कार्यान्वयन का समन्वयन करने के लिए दलों का गठन करने का निर्णय किया। • दलों का शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के चयनित प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के प्रशिक्षण के पश्चात् गठन करने का निर्णय किया जाना था जो अभी प्रक्रिया में है।
महाराष्ट्र	• एसडीजी के कार्यन्वयन पर हुई प्रगति का अनुवीक्षण करने तथा मार्गदर्शन देने हेतु राज्य तथा जिला स्तरीय संचालन समितियों की स्थापना की गई।
उत्तर प्रदेश	• उर्ध्वाधर सामंजस्यता हेतु पहचान की गई पहलें तथा उनकी स्थिति निम्नानुसार हैः ○ संकेतकों को स्थानीय बनानाः एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था परंतु लिए गए निर्णयों को अभिलेखित नहीं किया गया। ○ पंचायती राज विभाग द्वारा उद्देश्यों की क्लस्टरिंग: ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) दिशानिर्देशों की समीक्षा, जीपीडीपी में एसडीजी को संघटित करने तथा जीपी स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों की लक्ष्य-वार सूची तैयार करने के लिए परामर्श किए गए। तथापि, पंचायती राज विभाग द्वारा जीपीडीपी फ्रेमवर्क के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण प्रगति रूक गई। ○ जिला स्तर पर एसडीजी कार्यान्वयन कार्य मैट्रिक्स तथा राज्य एवं जिला स्तर पर समीक्षा फ्रेमवर्क: यह कार्य अभी भी प्रक्रियाधीन थे। • निचले स्तरों पर एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता के अधीन एक राज्य स्तरीय कार्य बल सृजित (जनवरी 2019) किया गया।
पश्चिम बंगाल	• 2030 कार्यसूची को कार्यान्वित करने के लिए जिला स्तरीय अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। हालांकि, निम्नस्तर पर कोई संस्थागत लिंक नहीं था।

एसडीजी के कार्यान्वयन हेतु तैयारी

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि "समस्तरीय नीति सामंजस्यता" तथा "उर्ध्वाधर नीति सामंजस्यता" तैयार करने में कमियां अभी भी मौजूद थी जो एक संतुलित प्रकार से सतत् विकास प्राप्त करने तथा यह सुनिश्चित करने कि 'कोई पीछे न छूटे', में बाधा डाल सकती है।

तथापि नीति आयोग ने अपनी नवीनतम सूचना (मई 2019) में उजागर किया कि वह सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र तथा अपने योजना विभागों के साथ आवधिक कार्यशालाओं एवं समीक्षा बैठकों के माध्यम से सीधे कार्य करता है जिससे कि अपेक्षित सामंजस्यता को प्राप्त किया जा सके।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नीति आयोग ने 2030 कार्यसूची का समन्वय करने हेतु प्रमुख संस्थान के रूप में कई पहल प्रारम्भ की। तथापि, वर्ष 2020, 2025 तथा 2030 में पूरे किए जाने वाले एसडीजी उद्देश्यों के साथ संरेखित एक परिभाषित मुख्य-पड़ाव (माइलस्टोन) वाली कार्य योजना अभी भी तैयार की जानी है। उन्होंने तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा तथा सात वर्षीय कार्यनीति दस्तावेज प्रस्तुत किये परंतु विज़न 2030 दस्तावेज तैयार करने पर कार्रवाई अभी भी प्रक्रियाधीन थी। चयनित राज्यों में समान दस्तावेजों की तैयारी धीमी गति में थी। नीति आयोग ने जागरूकता उत्पन्न करने हेतु हितधारकों के साथ गहन परामर्श किए परंतु एसडीजी पर लोक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर लोक जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के लिए भी प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। नीति सामंजस्यता 2030 कार्यसूची के कार्यान्वयन में "समग्रता" तथा "सम्पूर्ण सरकार" दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है जिसके लिए मंत्रालयों तथा अभिकरणों तथा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय हेतु मौजूदा तंत्र को लक्ष्यों/उद्देश्यों तथा उनके कार्यान्वयन मंत्रालयों के बीच अंतर-संबंधता की पहचान तथा संबोधित करके इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी।